भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3159

जिसका उत्तर गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को दिया जाना है

ई-सेवा केंद्र

3159 श्री उज्जवल देवराव निकमः

श्री मयंककुमार नायकः

डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः

डा. भागवत कराड़:

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े

श्री लहर सिंह सिरोयाः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ई-सेवा केंद्रों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ख) इन ई-सेवा केंद्रों के अंतर्गत अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार द्वारा अब तक स्थापित किए गए ऐसे केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का, इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य सहित ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : ई-सेवा केंद्र, सामान्य मुवक्किल / अधिवक्ताओं को उनकी ई-न्यायालय से संबंधित डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वन-स्टॉप डिजिटल सेंटर के रूप में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन स्थापित किए गए हैं । ई-सेवा केंद्रों की मुख्य विशेषताएं और प्रदान की जाने वाली प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:

(i) मुवक्किलों और अधिवक्ताओं के लिए डिजिटल विभाजन को पाटने और ई-न्यायालय संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र के अधीन विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए मार्गदर्शी सहायता प्रदान करने हेतु न्यायालय परिसरों में स्थापित प्रसुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करना, यह सुनिश्चित करना कि जिन नागरिकों के पास पर्याप्त डिजिटल संसाधन नहीं हैं उन्हें इससे बाहर न रखा जाय ।

(ii) सभी उच्च न्यायालय की अधिकारिताओं में ई-फाइलिंग, ऑनलाइन संदाय (अर्थात् न्यायालय फीस, जुर्माना और शास्तियों का ई-संदाय) और आभासी न्यायालय संबंधी सेवाओं को अपनाने की प्रसुविधा प्रदान करना, जिसमें दस्तावेजों की स्कैनिंग आदि जैसी इन सेवाओं के लिए सहायता भी सम्मिलित है।

(iii) ई-न्यायालय पोर्टल पर उपलब्ध मामले की प्रास्थिति, वादसूची, आदेश और निर्णय प्राप्त करने में नागरिकों की सहायता करना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित न्यायालय की सुनवाई के दौरान मुवक्किलों और अधिवक्ताओं की सहायता करना।

(iv) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करना।

(v) मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को अपेक्षित उन्नत तकनीकी संसाधनों या डिजिटल साक्षरता के बिना विभिन्न डिजिटल न्यायिक सेवाओं तक पहुंच बनाने में समर्थ करना।

(vi) न्यायपालिका और आबादी के ऐसे वर्गों के बीच एक प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करना जिनके पास पर्याप्त डिजिटल अवसंरचना नहीं है, जिससे 'पहुंच और समावेश' के ई-न्यायालय चरण-3 के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।

(घ) : सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जिला और अधीनस्थ न्यायालय को सम्मिलित करते हुए, सभी उच्च न्यायालयों की अधिकारिताओं में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं । सभी 28 उच्च न्यायालयों की अधिकारिताओं में कुल 2,444 प्रचालित केंद्रों (उच्च न्यायालयों में 48 और जिला न्यायालयों में 2,396) के साथ ई-सेवा केंद्र कार्यरत हैं । तारीख 31.01.2026 तक ई-सेवा केंद्रों का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर है।

(ङ) : ई-न्यायालय परियोजना चरण-3 के अधीन, 394.48 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय और संपूर्ण देश में लगभग 4,400 न्यायालय परिसरों में केंद्र स्थापित करने के लक्ष्य के साथ सभी न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्र की स्थापना के लिए उपबंध किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की सिफारिश पर सभी उच्च न्यायालयों को निधियां जारी की जाती हैं। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए ई-न्यायालय परियोजना के अधीन कुल 257.35 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं और आज तक 169.56 करोड़ रु. का उपयोग किया जा चुका है।

उपाबंध-1

ई-सेवा केन्द्र के संबंध में, राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3159, जिसका उत्तर तारीख 19.03.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

तारीख 31.01.2026 तक ई-सेवा केंद्रों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति:

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालयों में कार्यरत ई-सेवा केंद्र (क)	जिला न्यायालयों में कार्यरत ई-सेवा केंद्र (ख)	कुल (क+ख)
1	इलाहाबाद	2	111	113
2	आंध्र प्रदेश	4	34	38
3	बॉम्बे	3	351	354
4	कलकत्ता	1	44	45
5	छत्तीसगढ़	1	23	24
6	दिल्ली	1	13	14
7	गुवाहाटी – अरुणाचल प्रदेश	1	29	30
8	गुवाहाटी – असम	2	78	80
9	गुवाहाटी – मिजोरम	1	8	9
10	गुवाहाटी – नागालैंड	1	11	12
11	गुजरात	1	195	196
12	हिमाचल प्रदेश	1	22	23
13	जम्मू-कश्मीर	2	25	27
14	झारखंड	2	62	64
15	कर्नाटक	3	75	78
16	केरल	1	161	162
17	मध्य प्रदेश	3	229	232
18	मद्रास	7	310	317
19	मणिपुर	1	21	22
20	मेघालय	1	16	17
21	उड़ीसा	1	183	184
22	पटना	1	92	93
23	पंजाब और हरियाणा	1	123	124
24	राजस्थान	2	17	19
25	सिक्किम	1	10	11
26	तेलंगाना	1	98	99
27	त्रिपुरा	1	16	17
28	उत्तराखंड	1	39	40
	कुल	**48**	**2396**	**2444**

स्रोत: ई-समिति, भारत का उच्चतम न्यायालय ।
